संख्या 1/16/2011–पी0 एंड पी0 डब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली
दिनांक – 20.09.2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः कुटुम्ब पेंशन – दिवगंत पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशन भोगी के परिवार के दावेदार सदस्य (पति/पत्नी के अतिरिक्त) द्वारा फार्म – 14, पी.पी.ओ. और मृत्यु प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत किए जाने के लिए दस्तावेजों की सूची – के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 08.12.2011 (प्रति संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश दिया गया है।

2. इस विभाग में प्राप्त प्रतिवेदनों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कार्यालय आवेदक कुटुम्ब पेंशनभोगियों से उल्लेखित कार्यालय ज्ञापन में उल्लेख न किए गए दस्तावेजों की मांग करते हैं।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि कुटुम्ब पेंशनभोगियों द्वारा किसी कठिनाई का सामना करने से रोकने के लिए वे अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 08.12.2011 के कार्यालय ज्ञापन में अन्तर्निहित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दें। उन्हें इस विभाग की बेवसाइट पर तथा pensionersportal.gov.in पर कुटुम्ब पेंशन संबंधी परिपत्रों में यथा अन्तनिर्हित पिछले दो वर्षों के दौरान जारी किए गए अन्य कार्यालय ज्ञापनों को भी देखने की सलाह भी दी जा सकती है।

सोलंकी

(दर्शन कुमार सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोनः 24644632

सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन।

विभाग में उपलब्ध सूची के अनुसार सभी पेंशनभोगी एसोसिएशंस।

एन.आई.सी को प्रति प्रेषित इसे संलग्नकों सहित पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए।

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, सांतवा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।